# चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
# Ch.Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/7606
दिनांक : 23/02/2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य वार्षिक परीक्षायें–2023 एवं एन0ई0पी0 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षायें माह मार्च के द्वितीय सप्ताह से आयोजित होनी प्रस्तावित है। उक्त परीक्षाओं हेतु किसी भी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र नामित किया जा सकता है। अतः समस्त महाविद्यालयों से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी शासनादेशों के आलोक में निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

01. जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वारा सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायरस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकाडिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शिता नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।

02. परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याए एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहां कक्ष हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जाये कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।

03. जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वारा सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायरस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकाडिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शिता नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।

04. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

05. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख–रखाव के लिए कम से कम दो लोहे की अलमारियों सहित स्ट्रांग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

06. महाविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था इत्यादि सु निश्चित की जाय।

07. परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकाडिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जायेगा।

08. परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में (परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुये) दो कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक ड्यूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गये कार्यो को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तद्नुसार उनका वेतन काट लिया जाय।

09. परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए–4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा–नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चस्पा किया जाय।

10. परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर वाहय व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।

11. परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालय में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबन्ध होना अनिवार्य होगा।

12. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय होना अति आवश्यक होगा।

13. परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नहीं है, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।

14. प्रश्नपत्र सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।

15. उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्ति के 02 घंटे के भीतर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित नोडल केन्द्र/उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेगी।

16. परीक्षा केन्द के भीतर पुस्तक, गाइड, कम्प्यूटर, मोबाइल व कैलकुलेटर अनुमन्य नहीं होंगे, इसकी सूचना पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।

17. समस्त परीक्षा केन्द्रों पर राउटर लगाये जाने के पश्चात केन्द्र व्यवस्थापकों/प्राचार्यों द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की वेबकास्टिंग व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापकों/प्राचार्यों द्वारा केन्द्र में लगे डी0वी0आर0 का आई0पी0 एड्रेस उनकी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एक सील बन्द लिफाफे में परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व ही सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयक सी0सी0टी0वी0 कंट्रोल रूम, विश्वविद्यालय परिसर को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

परीक्षा नियंत्रक